पत्रांक–भवन/मु0अ0(प0) यो0 प्राक्क0–01–20/2021 398 (भ) पटना, दिनांक– 30/3/26

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– **Provision of Prefabricated Cement fiber board Record room of establishment Provision of septic tank of PH work in maid room and HE Governor at Raj Bhawan, Patna for the Year 2025-26 (Civil work, trusses and pipe and vitrified tiles work), Cement fiber board, Painting shutter alluminium and false ceiling work कार्य हेतु राशि ₹43,38,100/–एवं Provision of stage work, Bricks soling and other miscellaneous work in flooring for proposed German hanger in the Campus of raj Bhawan, Patna for the Year 2025-26 कार्य हेतु राशि ₹ 69,08,900/–अर्थात कुल राशि ₹ 1,12,47,000/– (एक करोड़ बारह लाख सैतांलिस हजार रूपये) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयक कार्य हेतु अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना का पत्रांक–6438अनु0, दिनांक–11.11.2025 एवं पत्रांक–5077अनु0, दिनांक–20.09.2025 द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर विषयांकित कार्य हेतु कुल राशि **₹ 1,12,47,000/–(एक करोड़ बारह लाख सैतांलिस हजार रूपये) मात्र** की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त कार्य पर व्यय की जाने वाली राशि"मांग संख्या–03 के मुख्यशीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्यशीर्ष–01–कार्यालय भवन लघुशीर्ष–051–निर्माण–उपशीर्ष–0101–विपत्र कोड–**03–4059010510101** के विषयशीर्ष–53–मुख्यकार्य–0101.53.01–मुख्य निर्माण कार्य" के अन्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष **2025–26** में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा। यह मात्र प्रशासनिक स्वीकृति है। विषयांकित कार्य हेतु आवंटन के साथ निर्गत व्ययादेश के उपरान्त राशि की निकासी की जा सकेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, **कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल–01, पटना** होंगे।

5. इस राशि की निकासी **सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना** से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्वं होगा कि वे राशि के व्यय के पूर्व एजेन्सी द्वारा इस कार्य के संबंध में संतुष्ट होकर नियमानुसार भुगतान करेंगे।

6. प्रस्तुत योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा सं0सं0–भ0/मु0अ0(प0)यो0 प्राक्क0–01–20/2021 के पृष्ठ–14/टि0 पर दिनांक–24.03.2026को प्रदान की गयी है।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

8. वित्त विभाग, बिहार के संकल्प सं0–917/वि0, दिनांक–01.12.2025 द्वारा स्कीम स्क्रीनिंग समिति का कार्यकाल दिनांक–31.03.2026 तक विस्तारित किया गया है। भवन निर्माण विभाग की संचिका सं0–भवन/मु0अ0(प0)21यो0 विविध–08–01/2026 के पृष्ठ सं0–20/16 टि0 पर मांग सं0–03, मुख्यशीर्ष–4216 एवं 4059 के अधीन पुराने परिसरों में किये जाने वाले छोटे–छोटे नव निर्माण कार्यों एवं महानुभावों के प्रतिमा अधिष्ठापन कार्य को स्कीम स्क्रीनिंग समिति की समीक्षा/अनुशंसा प्राप्त किये जाने की आवश्यकता से मुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार अनुमोदन प्राप्त है।

9. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–भ0/मु0अ0(प0)यो0 प्राक्क0–01–20/2021 के पृष्ठ–14/टि0 पर प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय परिपत्र सं0–7355 वि0(2) दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इस राशि की निकासी में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

(राजेश कुमार सिंह) 30/3/26
सरकार के अपर सचिव